

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 637
उत्तर देने की तारीख- 06/02/2023

जनजातीय विकास परियोजना

637 श्री मितेष पटेल (बकाभाई):

श्रीमती शारदा अनिल पटेल:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं के अंतर्गत किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त परियोजना के अंतर्गत आवंटित/खर्च की गई निधियों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त परियोजनाओं के अंतर्गत किए गए कार्यों की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्रीमती रेणुका सिंह सरुता)

(क) तथा (ख): मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित जनजाति वाले राज्यों को एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी) मॉडिफाइड एरिया डिवेलपमेंट अप्रोच (एमएडीए), कलस्टर आदि के क्षेत्रों में जनजातियों के विकास के लिए 'जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए)' और 'संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान' के अंतर्गत निधियां उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान योजनाओं / कार्यक्रमों के तहत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कार्य/ गतिविधियां/ परियोजनाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी, पशुपालन, पेयजल और स्वच्छता, सड़क संपर्क, कौशल और उद्यमिता विकास, आजीविका और आय सृजन गतिविधियां आदि से संबंधित थीं। 2017-18 से 2021-22 के दौरान 'टीएसएस को एससीए' और 'संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान' योजना के तहत राज्यों को जारी की गई निधि की राशि और उनके द्वारा उपयोग की गई राशि की जानकारी **अनुलग्नक-1** में है। सरकार ने, 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए 'प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)' नामकरण

के साथ 'जनजातीय उप-योजना (टीएसएस को एससीए) के लिए विशेष केंद्रीय सहायता' की पिछली योजना को संशोधित किया है, जिसका उद्देश्य अंतर को कम करना और केंद्रीय अनुसूचित जनजाति घटक में विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध निधि के साथ अभिसरण में अधिक जनजातीय आबादी वाले गांवों में बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है। पीएमएएजीवाई के तहत पहचाने गए कुल गांवों का राज्य-वार विवरण, 2021-22 और 2022-23 के दौरान लिए गए गांवों की संख्या और 30.01.2023 तक जारी की गई निधियां **अनुलग्नक-2** में हैं। राज्य सरकारें भी एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं (आईटीडीपी) क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए राज्य जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के तहत निर्धारित निधियों का उपयोग करती हैं। राज्यों द्वारा राज्य टीएसपी के रूप में आवंटित निधि की राशि **अनुलग्नक-3** में है।

(ग) से (ड): संबंधित राज्य सरकारें परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। मंत्रालय ने परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) के माध्यम से राज्यों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन के तंत्र को अपनाया है। वित्त पोषण (निधियां) के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते समय, पीएसी पिछले वर्षों के दौरान पहले से स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करती है। निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए निधियां जारी करने की सहमति दी जाती है:

(क) संबंधित योजना (योजनाओं) के तहत निधियों की उपलब्धता।

(ख) राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्षों के दौरान जारी की गई निधियों का उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) प्रस्तुत करना।

(ग) पहले से वित्त पोषित परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति रिपोर्ट।

"जनजातीय विकास परियोजना" के संबंध में दिनांक 06.02.2023 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 637 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक 1

2017-18 से 2021-22 के दौरान 'टीएसएस को एससीए' और 'संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान' के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई निधि की राशि और उसके उपयोग को दर्शाने वाला विवरण

क. 'टीएसएस को एससीए' की योजना:

क्र.सं.	राज्य	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22 (पीएमएएजीवाई)	
		कुल निर्मुक्ति	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र	कुल निर्मुक्ति	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र						
1	आंध्र प्रदेश	3624.77	3624.77	5617.39	5617.39	12470.50	3742.59	4954.96	0.00	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	2211.83	2211.83	9224.29	9224.29	7015.50	1775.70	733.68	0.00
3	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	2710.08	2710.08	4578.76	4578.76	8743.02	0.00
4	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3106.00	0.00	774.44	0.00
5	छत्तीसगढ़	14327.57	14327.57	10342.65	10342.65	9415.53	9415.53	8769.06	8769.06	15595.8	0.00
6	गोवा	559.09	559.09	352.31	352.31	0.00	0.00	724.26	0.00	0.00	0.00
7	गुजरात	10270.41	10270.41	11765.38	11765.38	8975.55	8975.22	10786.40	10786.40	15916.78	0.00
8	हिमाचल प्रदेश	2291.20	2291.20	3628.00	3628.00	2394.18	2394.18	1367.00	1165.53	377.03	0.00
9	जम्मू और कश्मीर	3626.50	3626.50	3749.80	3749.80	4509.00	4509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	झारखंड	11372.49	11372.49	8564.52	8564.52	6201.49	6201.49	7049.64	2168.98	6531.79	0.00
11	कर्नाटक	5955.37	5955.37	5347.76	5347.76	7434.00	7434.00	0.00	0.00	2139.9	0.00
12	केरल	808.43	808.43	335.00	335.00	0.00	0.00	459.15	459.15	0.00	0.00
13	मध्य प्रदेश	22828.70	22315.82	16968.97	16637.89	13415.25	13066.35	0.00	0.00	12268.76	0.00
14	महाराष्ट्र	13760.38	13760.38	13802.57	7225.56	11929.09	5112.59	0.00	0.00	0.00	0.00
15	मणिपुर	3790.38	3790.38	5442.48	5442.48	1434.02	1347.66	0.00	0.00	427.98	0.00
16	मेघालय	0.00	0.00	2739.20	2739.20	3788.00	2029.56	328.25	44.16	0.00	0.00
17	मिजोरम	0.00	0.00	1220.00	1220.00	3140.00	3140.00	1236.22	1236.22	580.83	0.00
18	नागालैंड	0.00	0.00	3225.00	3225.00	2951.12	2951.12	2846.14	1424.97	886.53	0.00
19	ओडिशा	11975.00	11975.00	17553.22	17553.22	8691.18	8418.84	9010.42	7881.91	2771.68	0.00
20	राजस्थान	10051.83	10051.83	10327.93	10327.93	11461.41	10101.18	8662.66	5020.56	7224.71	0.00
21	सिक्किम	5986.00	4753.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	तमिलनाडु	894.10	894.10	315.00	315.00	450.56	450.36	377.47	213.37	285.32	0.00

23	तेलंगाना	4493.55	4493.55	2850.32	2850.32	5361.29	5361.29	4191.00	4191.00	2262.18	0.00
24	त्रिपुरा	1649.77	1649.77	1294.38	1294.38	1362.97	1348.03	1173.30	600.05	631.78	0.00
25	उत्तराखंड	679.00	679.00	1012.88	1012.88	600.00	600.00	757.80	324.78	0.00	0.00
26	उत्तर प्रदेश	458.35	458.35	0.00	0.00	779.91	0.00	508.83	0.00	0.00	0.00
27	पश्चिम बंगाल	5397.11	5397.11	5833.41	5833.41	5862.58	5862.58	3746.00	3746.00	0.00	0.00
	कुल	134800.00	133054.80	134500.00	127591.91	134562.00	114395.94	81648.82	54386.60	78152.21	0.00

ख. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान

क्र.सं.	राज्य	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
		कुल निर्मुक्ति	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र								
1	आंध्र प्रदेश	4591.11	4591.11	6390.77	6390.77	8942.43	4732.16	2055.55	0.00	2638.65	1948.00
2	अरुणाचल प्रदेश	8378.82	8378.82	12170.52	12170.52	13202.25	13202.25	6014.00	6014.00	9830.00	9830.00
3	असम	0.00	0.00	3916.32	3916.32	10802.85	8927.80	4592.37	1199.99	2570.00	389.00
4	बिहार	991.89	654.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.08	342.08
5	छत्तीसगढ़	10964.49	10964.49	11352.92	11352.92	22500.77	22500.77	9976.24	9701.24	11604.02	11604.02
6	गोवा	103.00	103.00	345.66	345.66	0.00	0.00	0.00	0.00	600.41	600.41
7	गुजरात	11384.08	11384.08	11648.20	11240.20	16833.88	16303.88	5940.04	5525.17	6923.79	4223.79
8	हिमाचल प्रदेश	2074.70	2074.70	3378.16	3378.16	5314.70	5314.70	1161.00	1161.00	1500.00	1500.00
9	जम्मू और कश्मीर	3049.06	3049.06	2051.79	2051.79	5410.00	5410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	झारखंड	12386.93	12386.93	7354.30	7354.30	11166.77	11166.77	10278.00	10278.00	12264.19	8395.00
11	कर्नाटक	5881.74	5881.74	5220.61	5220.61	10435.46	10435.46	3305.68	2073.55	3210.00	2160.00
12	केरल	803.17	803.17	472.28	472.28	633.29	633.29	0.00	0.00	0.00	0.00
13	मध्य प्रदेश	22399.48	22104.55	24635.30	21880.05	44938.92	41464.73	4279.78	3383.81	5319.10	3134.92
14	महाराष्ट्र	13862.24	13862.24	17015.91	8744.18	23136.70	7625.54	4573.16	0.00	0.00	0.00
15	मणिपुर	2308.80	2308.80	5367.65	5095.00	6151.91	5351.91	0.00	0.00	0.00	0.00
16	मेघालय	3603.40	3603.40	5129.79	5129.79	4799.53	3950.06	492.71	270.85	1595.25	1516.25
17	मिजोरम	2504.41	2504.41	3507.71	3394.45	6598.83	6598.83	1909.71	1909.71	2971.54	2971.54
18	नागालैंड	4434.11	4434.11	9194.49	9194.49	6802.11	6802.11	1717.38	1717.38	3202.39	3202.39
19	ओडिशा	15995.30	15995.30	21449.15	21449.15	15110.66	14709.66	6304.62	4790.17	11382.05	10663.38

20	राजस्थान	10240.58	10240.58	13769.23	13769.23	15586.19	15586.19	9166.00	9166.00	10435.21	8936.61
21	सिक्किम	405.30	405.30	355.34	355.34	3175.35	3175.35	516.00	220.00	2045.00	1500.00
22	तमिलनाडु	378.00	378.00	773.57	601.83	6356.07	5311.99	0.00	0.00	0.00	0.00
23	तेलंगाना	5015.32	5015.32	3248.89	3248.89	9973.28	9973.28	2517.00	2517.00	2050.00	2050.00
24	त्रिपुरा	2040.99	2040.99	2006.73	1727.24	2952.63	2952.63	201.74	51.74	607.53	607.53
25	उत्तर प्रदेश	189.00	189.00	252.43	252.43	2760.71	2760.71	927.43	789.32	832.71	832.71
26	उत्तराखंड	1577.56	1170.65	1255.27	1168.20	428.37	428.37	0.00	0.00	100.65	100.65
27	पश्चिम बंगाल	5376.51	5376.51	9235.73	9235.73	12127.17	12127.17	4041.14	4041.14	0.00	0.00
	कुल योग	150939.99	149900.89	181498.72	169139.53	266140.83	237445.61	79969.55	64810.07	92324.57	76508.28

अनुलग्नक 2

"जनजातीय विकास परियोजना" के संबंध में दिनांक 06.02.2023 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 637 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक 2 पीएमएएजीवाई के तहत पहचाने गए कुल गांवों का राज्य-वार विवरण, 2021-22 और 2022-23 के दौरान लिए गए गांवों की संख्या और जारी की गई निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	गांवों की संख्या	2021-22		2022-23 (30.01.2023 तक)	
		गांवों की कुल संख्या	स्वीकृत गांव	कुल निर्मुक्ति	स्वीकृत गांव	निर्मुक्त निधियां
1	आंध्र प्रदेश	517	109	0.00	94	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	141	72	733.68	26	0.00
3	असम	1700	858	8743.02	309	10317.37
4	बिहार	184	76	774.44	34	0.00
5	छत्तीसगढ़	4029	1530	15595.8	733	23021.82
6	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	55	12	0.00	10	173.23
7	गोवा	21	4	0.00	4	0.00
8	गुजरात	3764	1562	15916.78	684	19401.76
9	हिमाचल प्रदेश	90	37	377.03	16	0.00
10	जम्मू और कश्मीर	302	64	0.00	55	932.39
11	लद्दाख	132	28	0.00	24	407.60
12	झारखंड	3891	819	6531.79	707	6915.28
13	कर्नाटक	507	210	2139.9	92	937.48
14	केरल	6	1	0.00	1	0.00
15	मध्य प्रदेश	7307	1538	12268.76	1329	13542.51
16	महाराष्ट्र	3605	759	0.00	655	13485.495
17	मणिपुर	254	53	427.98	46	295.47
18	मेघालय	836	176	0.00	152	3342.30
19	मिजोरम	344	72	580.83	63	641.97
20	नागालैंड	530	112	886.53	96	681.60
21	ओडिशा	1653	348	2771.68	301	1001.24
22	राजस्थान	4302	906	7224.71	782	15269.66
23	सिक्किम	62	13	0.00	11	0.00
24	तमिलनाडु	167	35	285.32	30	76.12
25	तेलंगाना	533	222	2262.18	97	593.06
26	त्रिपुरा	375	79	631.78	68	904.48
27	उत्तराखंड	64	13	0.00	12	0.00
28	उत्तर प्रदेश	183	39	0.00	33	0.00
29	पश्चिम बंगाल	874	184	0.00	159	2685.06
	कुल	36428	9931	78152.21	6623	114625.895

अनुलग्नक 3

"जनजातीय विकास परियोजना" के संबंध में दिनांक 06.02.2023 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 637 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक 3 वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक राज्य जनजाति उप-योजना/अनुसूचित जनजाति घटक के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा आवंटन एवं व्यय का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	अजजा जनसंख्या (2011) %	वित्तीय वर्ष 2018-19				
			राज्य योजना (स्कीम) आवंटन	एसटीसी आवंटन	अजजा आवंटन %	एसटीसी व्यय	व्यय %
1	आंध्र प्रदेश	5.3	89942.21	4176.61	4.64	3537.94	84.71
2	अंडमान और निकोबार	7.5	4659.60	236.12	5.07	236.08	99.98
3	असम	12.4	24232.00	1942.76	8.02	1857.51	95.61
4	बिहार	1.3	82269.22	1254.97	1.53	1067.59	85.07
5	छत्तीसगढ़	30.6	77073.34	23329.55	30.27	17279.95	74.07
6	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	33.0	1376.84	13.77	1.00	13.77	100.00
7	गोवा	10.2	9385.52	403.19	4.30	228.31	56.63
8	गुजरात	14.8	92102.00	13278.00	14.42	11744.00	88.45
9	हिमाचल प्रदेश	5.7	6300.00	567.00	9.00	466.18	82.22
10	झारखंड	26.2	45619.60	19957.24	43.75	16156.61	80.96
11	कर्नाटक	7.0	114309.68	8650.36	7.57	7898.35	91.31
12	केरल	1.5	29150.00	826.19	2.83	653.42	79.09
13	मध्य प्रदेश	21.1	114789.51	27474.57	23.93	24237.38	88.22
14	महाराष्ट्र	9.4	95000.00	8969.05	9.44	7274.14	81.10
15	ओडिशा	22.8	71753.71	13001.64	18.12	11172.65	85.93
16	राजस्थान	13.5	105703.91	14584.20	13.80	13576.47	93.09
17	सिक्किम	33.8	1220.35	6.12	0.50	2.90	47.39
18	तमिलनाडु	1.1	55498.17	794.25	1.43	632.94	79.69
19	तेलंगाना	9.3	104757.90	9693.12	9.25	6619.72	68.29
20	त्रिपुरा	31.8	5705.64	2368.31	41.51	1538.99	64.98
21	उत्तर प्रदेश	0.6	499135.11	977.24	0.20	686.91	70.29
22	उत्तराखंड	2.9	47884.28	515.06	1.08	262.21	50.91
23	पश्चिम बंगाल	5.8	76202.14	6348.32	8.33	5129.59	80.80
कुल		एनए	1754070.72	159367.64	9.09	132273.61	83.00

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	अजजा जनसंख्या %	वित्तीय वर्ष 2019-20				
			राज्य योजना (स्कीम) आवंटन	एसटीसी आवंटन	एसटीसी आवंटन %	एसटीसी व्यय	व्यय %
1	आंध्र प्रदेश	5.3	92696.81	4988.53	5.38	3281.46	65.78
2	अंडमान और निकोबार	7.5	5029.16	129.29	2.57	127.46	98.58
3	असम	12.4	25186.00	2056.32	8.16	1965.05	95.56
4	बिहार	1.3	103012.53	1194.28	1.16	1126.97	94.36
5	छत्तीसगढ़	30.6	76947.68	22088.66	28.71	16498.09	74.69
6	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	33.0	1241.11	12.41	1.00	12.41	100.00
7	गोवा	10.2	10809.50	417.45	3.86	162.94	39.03
8	गुजरात	14.8	106308.00	14567.00	13.70	12809.00	87.93
9	हिमाचल प्रदेश	5.7	7100.00	639.00	9.00	473.95	74.17
10	झारखंड	26.2	49142.62	20886.15	42.50	16312.27	78.10
11	कर्नाटक	7.0	121400.66	7979.96	6.57	7227.59	90.57
12	केरल	1.5	30610.00	866.26	2.83	539.01	62.22
13	मध्य प्रदेश	21.1	139774.64	33466.66	23.94	26980.30	80.62
14	महाराष्ट्र	9.4	99000.00	8531.00	8.62	6833.55	80.10
15	ओडिशा	22.8	77497.03	14261.61	18.40	12332.99	86.48
16	राजस्थान	13.5	111080.15	14981.24	13.49	13819.01	92.24
17	सिक्किम	33.8	637.34	2.63	0.41	1.51	57.41
18	तमिलनाडु	1.1	56849.96	1277.84	2.25	1015.84	79.50
19	तेलंगाना	9.3	75263.24	7184.87	9.55	6526.56	90.84
20	त्रिपुरा	31.8	6205.25	2772.42	44.68	1794.55	64.73
21	उत्तर प्रदेश	0.6	526766.47	1025.81	0.19	823.37	80.27
22	उत्तराखंड	2.9	51145.29	516.54	1.01	302.93	58.65
23	पश्चिम बंगाल	5.8	89329.48	6232.26	6.98	5303.00	85.09
कुल		एनए	1863032.92	166078.19	8.91	136269.80	82.05

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	अजजा जनसंख्या (2011) %	वित्तीय वर्ष 2020-21				
			राज्य योजना (स्कीम) आवंटन	एसटीसी आवंटन	एसटीसी आवंटन %	एसटीसी व्यय	व्यय %
1	आंध्र प्रदेश	5.3	104063.25	6570.16	6.31	4731.91	72.02
2	अंडमान और निकोबार	7.5	4884.97	116.01	2.37	114.72	98.89
3	असम@	12.4	37827.00	1614.43	4.27	1086.89	67.32
4	बिहार	1.3	108210.00	1049.18	0.97	868.38	82.77
5	छत्तीसगढ़	30.6	76765.20	21824.19	28.43	15552.76	71.26
6	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	33.0	1745.00	17.45	1.00	0.71	4.07
7	गोवा	10.2	11264.84	412.11	3.66	174.15	42.26
8	गुजरात	14.8	110529.00	14106.00	12.76	11120.53	78.84
9	हिमाचल प्रदेश	5.7	7900.00	711.00	9.00	523.03	73.56
10	झारखंड	26.2	49752.18	19068.08	38.33	14385.29	75.44
11	कर्नाटक	7.0	106287.18	7816.22	7.35	7294.98	93.33
12	केरल	1.5	27610.00	781.36	2.83	567.65	72.65
13	मध्य प्रदेश@	21.1	99029.67	27822.07	28.09	24929.61	89.60
14	महाराष्ट्र	9.4	108000.00	8853.00	8.20	7415.42	83.76
15	ओडिशा	22.8	79974.26	14423.83	18.04	10647.59	73.82
16	राजस्थान	13.5	112362.73	15545.68	13.84	13784.39	88.67
17	सिक्किम	33.8	1525.58	1.00	0.07	0.76	76.00
18	तमिलनाडु	1.1	64255.97	1299.47	2.02	1155.51	88.92
19	तेलंगाना@	9.3	104612.62	9771.28	9.34	7170.71	73.39
20	त्रिपुरा	31.8	6636.54	2678.29	40.36	2010.54	75.07
21	उत्तर प्रदेश	0.6	539203.48	1195.14	0.22	953.92	79.82
22	उत्तराखंड	2.9	57590.76	551.73	0.96	326.87	59.24
23	पश्चिम बंगाल	5.8	95203.74	8211.61	8.63	4971.30	60.54
कुल		एनए	1915233.98	164439.29	8.59	129787.62	78.93

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	अजजा जनसंख्या (2011) %	वित्तीय वर्ष 2021-22#				व्यय %
			राज्य योजना (स्कीम) आवंटन	एसटीसी आवंटन	एसटीसी आवंटन %	एसटीसी व्यय	
1	आंध्र प्रदेश	5.3	100043.45	6131.24	6.13	4125.41	67.29
2	अंडमान और निकोबार	7.5	5781.54	201.78	3.49	201.15	99.69
3	असम@	12.4	46894.00	1604.81	3.42	1492.04	92.97
4	बिहार	1.3	91708.84	1352.26	1.47	1505.19	111.31
5	छत्तीसगढ़	30.6	76905.27	22101.36	28.74	17254.81	78.07
6	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	33.0	3671.80	21.10	0.57	1.82	8.63
7	गोवा	10.2	13088.33	489.66	3.74	207.03	42.28
8	गुजरात	14.8	108366.00	14463.07	13.35	12959.21	89.60
9	हिमाचल प्रदेश	5.7	9405.41	846.49	9.00	682.25	80.60
10	झारखंड	26.2	51788.94	21896.86	42.28	18300.21	83.57
11	कर्नाटक	7.0	103241.00	7822.80	7.58	7607.20	97.24
12	केरल	1.5	27610.00	781.36	2.83	720.90	92.26
13	मध्य प्रदेश@	21.1	112521.34	34858.11	30.98	29995.12	86.05
14	महाराष्ट्र	9.4	130000.00	9738.00	7.49	7979.54	81.94
15	ओडिशा	22.8	90816.33	15936.29	17.55	11356.90	71.26
16	राजस्थान	13.5	153369.88	19896.81	12.97	18045.00	90.69
17	सिक्किम	33.8	1053.90	1.00	0.09	1.00	100.00
18	तमिलनाडु	1.1	65847.46	1306.02	1.98	1078.90	82.61
19	तेलंगाना@	9.3	126378.18	12304.23	9.74	8961.40	72.83
20	त्रिपुरा	31.8	7620.44	3407.53	44.72	2464.04	72.31
21	उत्तर प्रदेश	0.6	592103.02	1335.11	0.23	839.21	62.86
22	उत्तराखंड	2.9	64460.42	640.30	0.99	297.64	46.48
23	पश्चिम बंगाल	5.8	123018.79	10977.91	8.92	6186.11	56.35
कुल		एनए	2105694.34	188114.10	8.93	152262.08	80.94

स्रोत: राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त सूचना।

#सामंजस्य किया जा रहा है, *अनंतिम आंकड़े, @ कुल राज्य परिव्यय पर प्राप्त डेटा, एएलएन: आवंटन, ईएक्सपी: व्यय, एनआर: प्राप्त नहीं हुआ, एनए: लागू नहीं।
